मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :–125/2024

1. चन्द्रभान पुत्र चानणराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 16 एस.एल.डबल्यू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. चन्द्रावली पुत्री चानणराम पत्नी जसराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. नारायणी (रानी देवी) पुत्री चानणराम पत्नी राधेश्याम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी घोड़ावाली तहसील रानियां जिला सिरसा।
3. लाली पुत्री चानणराम पत्नी दीपाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी प्रेमनगर गंधेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. विद्या पुत्री चानणराम पत्नी बनवारीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. सरस्वती पुत्री चानणराम पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. सावित्री पुत्री चानणराम पत्नी धनपत जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :–14:06:2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14:6:24 को संजय कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेज[illegible] अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की [illegible] 88 [illegible] अन्तर्गत आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है [illegible] नम्बर 16 एस.एल. डबल्यू. के खाता संख्या 23/26 में कुल 6.325 हैक्टर में [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा, चक नम्बर 16 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 51/52 में कुल 5.060 हैक्टर में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा, चक

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta

Date: 2024.08.02 16:34:33 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव

पदेन सहायक कलेक्टर

टिब्बी

Scanned with CamScanner

नम्बर 16 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 127 / 117 मे कुल 5.060 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या 2 व 5 प्रत्येक का 1 / 10 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 15 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 23 / 26 व चक नम्बर 16 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 51 / 52 मे से हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन, चक नम्बर 16 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 127 / 117 मे से भागवती, सरस्वती का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
द पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
क्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
र्जी के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
थ पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों [illegible] निर्वाह भत्ता	---
क्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	[illegible]	---
मिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
देशिका की तामिल	---	योग	---
ा			

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 16:34:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner